भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2666

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएमएमएस उपस्थिति ऐप

2666. श्री सुनील बोस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) उपस्थिति ऐप की समस्याओं के कारण अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थ श्रमिकों की संख्या का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली क्या है;

(ख) अप्रैल 2025 से आज की तिथि तक एनएमएमएस ऐप और भौतिक मस्टर रोल के बीच उपस्थिति में विसंगतियों का राज्य-वार ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा एनएमएमएस ऐप पर डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने में आ रही समस्याओं के कारण किसी भी श्रमिक को मजदूरी से वंचित न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(घ) एनएमएमएस ऐप से जुड़ी समस्याओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों का ब्यौरा और कुल संख्या कितनी है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 जनवरी, 2023 से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से एक दिन में श्रमिकों की दो समय-मुद्रित, जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। विकसित भारत- ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम के तहत एनएमएमएस ऐप का उपयोग करते हुए एक

सुदृढ़, चेहरा प्रमाणीकरण आधारित उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था अपनाई गई है, जो 01.07.2026 से लागू हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएमएमएस में तकनीकी समस्याओं के कारण किसी भी वास्तविक श्रमिक को कठिनाई का सामना न करना पड़े, एक व्यापक छूट व्यवस्था लागू की गई है। छूट व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कार्यस्थल पर नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या होने की स्थिति में, उपस्थिति ऑफलाइन मोड में दर्ज की जा सकती है, जिसे बाद में नेटवर्क से जुड़े क्षेत्र में जाने पर अपलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी स्थितियों में भी छूट उपलब्ध है जहाँ डिवाइस या एप्लिकेशन काम नहीं कर रहा हो, श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ हो, या श्रमिक को दृष्टिबाधिता जैसी कोई दिव्यांगता हो। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी तकनीकी समस्या को मंत्रालय के समक्ष उठाया जाता है और वास्तविक समय के आधार पर हल किया जाता है।

एनएमएमएस एप्लिकेशन के क्रियान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस एप्लिकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी सहायक है क्योंकि मस्टर रोल बंद होने के तुरंत बाद वेतन सूची और एफटीओ तैयार किए जा सकते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से यह सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि उपरोक्त योजनाओं के तहत किसी भी पात्र और इच्छुक श्रमिक को एनएमएमएस में किसी भी तकनीकी कठिनाई के कारण रोजगार से वंचित न किया जाए।